JEEViKA
Rural Development Department, Government of Bihar
Bihar Rural Livelihoods Promotion Society
State Rural Livelihoods Mission, Bihar
बिहार सरकार

(289)

Vidyut Bhawan - II, Bailey Road, Patna- 800 021; Ph.:+91-612-250 4980; Fax:+91-612-250 4960, Website:www.brlps.in

पत्रांक - BRLPS/Proj/665/14/63 दिनांक - 16/04/2020

प्रेषक
बालामुरुगन डी. (भा. प्र.से.)
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी
जीविका , बिहार

सेवा में
सभी जिला परियोजना प्रबंधक,
जीविका , बिहार

विषय : जीविका से जुड़े योग्य परिवारों का जन वितरण प्रणाली से आच्छादन के सम्बन्ध में ।

महाशय,

COVID 19 से उत्पन्न परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए जीविका स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों में छूटे हुए योग्य गरीब परिवारों को जन वितरण प्रणाली से जोड़ने की आवश्यकता महसूस की गयी है । सभी छूटे हुए योग्य परिवारों का सर्वेक्षण के आधार पर तैयार सूची का अग्रसारण सम्बंधित ग्राम संगठन के द्वारा किया जाएगा । छूटे हुए योग्य परिवारों का चिन्हांकन दो दिवस के अन्दर किया जाना है ।

चिन्हित योग्य परिवारों के राशन कार्ड उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग , बिहार सरकार द्वारा जारी प्रपत्र "क" एवं "ख" (अनुलग्नक 2) को ग्राम संगठन के माध्यम से योग्य परिवारों के लिए एंड्राइड आधारित विशेष एप्लीकेशन के माध्यम से भरा जाना है, जिसे समेकित कर प्रखंड परियोजना प्रबंधक RTPS केंद्र में जमा करते हुए निबंधन सुनिश्चित करवाएंगे । इस प्रपत्र के साथ जरुरी दस्तावेज मुख्यत: बैंक खाता एवं आधार कार्ड एक संलग्न करना सुनिश्चित किया जाना है । जिनका प्रिंट जीविका प्रखंड स्तरीय

कार्यालय द्वारा किया जाएगा। यह कार्य सम्बंधित ग्राम संगठन के बुक कीपर एवं जीविका मित्र द्वारा अनिवार्य रूप से पांच दिनों के अन्दर किया जाना है । ताकि जीविका के सभी सदस्यों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित किया जा सके । प्रखंड परियोजना प्रबंधक एवं प्रखंड स्तरीय अन्य पदाधिकारी द्वारा उपरोक्त कार्य का अनुश्रवण एवं ससमय सहयोग किया जाएगा ।

योग्य परिवारों के द्वारा यह घोषणा किया जायेगा की मेरे घर में जन वितरण प्रणाली का कार्ड किसी सदस्य के नाम से निर्गत नहीं है | पूरी तरह से तैयार प्रपत्र को ग्राम संगठन द्वारा अभिप्रमाणित किया जायेगा | प्रक्रिया एवं समय सीमा निम्न प्रकार से होंगी ।

1. सर्वेक्षक का चयन एवं प्रशिक्षण

छूटे हुए परिवारों के सर्वेक्षण का दायित्व बुक कीपर यह अन्य कैडर का होगा जो अपने कार्यक्षेत्र के सभी ग्राम संगठनो से छूटे योग्य परिवारों का सर्वेक्षण निर्धारित समय सीमा के भीतर सुनिश्चित करेंगे । इस कार्य में सम्बंधित जीविका मित्र या अन्य कैडर, सर्वेक्षण में मदद करेंगे । प्रखंड स्तरीय टीम के द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा की प्रत्येक समूह के सभी सदस्यों से जीविका मित्र या अन्य कैडर के द्वारा इस विस्चय पर चर्चा कर ऐसे सदस्यों की सूची ग्राम संगठनवार तैयार की जाएगी जिनके पास जन वितरण प्रणाली का कार्ड उपलब्ध नहीं है |

2. प्रक्रिया एवं समय सीमा

क्र.	कार्य	जिम्मेवारी	समय सीमा
1	आंकड़ों का संकलन	प्रखंड एवं जिला स्तरीय टीम	16/04/2020-17/04/2020
2.	अनुलग्नक 1 एवं 2 (ग्राम संगठन द्वारा अनुमोदित प्रपत्र को प्रखंड कार्यालय में जमा करना)	प्रखंड एवं जिला स्तरीय टीम	17 से 20/04/2020
3.	भरे गए प्रपत्र का RTPS केंद्र पर निबंधन हेतु हस्तांतरण	प्रखंड एवं जिला स्तरीय टीम	20 से 22/04/2020

3. अनुश्रवण एवं सहयोग

जिला स्तर पर त्रिसदस्यीय टीम (प्रबंधक सामाजिक विकास , प्रबंधक स्वास्थ्य एवं पोषण , और प्रबधक अनुश्रवण एवं मूल्यांकन) का गठन किया जाएगा । सभी ब्लाक एवं जिला के मेंटर अनुश्रवण एवं ससमय सहयोग प्रखंड स्तरीय टीम को प्रदान करेंगे | जिला परियोजना प्रबंधक इसके लिए जिला स्तर पर नोडल होंगे | राज्य स्तर से सभी जिला के मेंटर एवं सामाजिक विकास टीम के द्वारा अनुश्रवण एवं सहयोग किया जाना है ।

उपरोक्त सभी कार्य को सम्पादित करने के लिए Social Distancing का पालन तथा मास्क का उपयोग कैडर एवं परियोजना कर्मियों द्वारा किया जाना है |

विश्वासभाजन

16/04/2020

मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी

अनुलग्नक 1: जन वितरण प्रणाली से छूटे हुए परिवारों की सूची हेतु सर्वेक्षण प्रपत्र |

अनुलग्नक 2: प्रपत्र "क" एवं प्रपत्र "ख" |

प्रतिलिपि:-

1. प्रधान सचिव, ग्रामीण विकास विभाग , बिहार सरकार को सूचनार्थ |
2. सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार सरकार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित |
3. सभी जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित |

16/04/2020

अनुलग्नक 1: जन वितरण प्रणाली से छूटे हुए परिवारों की सूची।

जिला :

प्रखंड :

अनुमंडल :

1. आवेदक का नाम :

2. घर की संख्या :

3. आधार /EID नंबर :

4. आवेदक के पति/पिता का नाम :

5. पता :

6. बैंक का नाम :

7. IFSC कोड :

8. बैंक खाता संख्या :

9. सदस्यों का विवरण :

क्रं सं.	सदस्य का नाम	आधार / EID संख्या

में प्रमाणित करता /करती हूँ कि मेरे परिवार में कोई भी सदस्य जन वितरण प्रणाली से लाभान्वित नहीं हैं।

आवेदक का हस्ताक्षर

सदस्य का नाम :

समूह का नाम :

ग्राम संगठन का नाम :

अनुलग्नक 1: जन वितरण प्रणाली से छूटे हुए परिवारों की सूची।

जिला : प्रखंड :

अनुमंडल :

1. आवेदक का नाम :
2. घर की संख्या : 3. आधार नंबर :
4. आवेदक के पति/पिता का नाम :
5. पता :
6. बैंक का नाम : 7. IFSC कोड :
8. बैंक खाता संख्या :
9. सदस्यों का विवरण :

क्रं सं.	सदस्य का नाम	आधार संख्या

में प्रमाणित करता / करती हूँ कि मेरे परिवार में कोई भी सदस्य जन वितरण प्रणाली से लाभान्वित नहीं हैं।

आवेदक का हस्ताक्षर

समूह का नाम : सदस्य का नाम :

ग्राम संगठन का नाम :